

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/2022/35992

जयपुर, दिनांक: 28/06/2022

पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2022

राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना संचालन नियम 2007 के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी नियम/आदेश/परिपत्र को अधिक्रमण करते हुये राज्य सरकार द्वारा नवीन "पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2022" जारी किये जाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार ::

- 1) ये "पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2022" कहलायेंगे व योजना के संचालन हेतु पूर्व में प्रसारित पालनहार योजना संचालन नियमों का स्थान लेंगे।
- 2) यह नियम सम्पूर्ण राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :: — जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नहीं हो तब तक निम्नानुसार दी गई परिभाषाएँ ही इन दिशा निर्देशों के निर्वचन (Interpretation) हेतु अन्तिम होगी—

- 1) "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है।
- 2) "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है।
- 3) "आयुक्त/निदेशक" से तात्पर्य विभाग के आयुक्त/निदेशक से अभिप्रेत है।
- 4) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य विभाग के जिले में नियुक्त/पदस्थापित विभाग के किसी भी अधिकारी से है चाहे उसका पद या वेतनमान कुछ भी हो, से अभिप्रेत है।
- 5) "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" से तात्पर्य विभाग के ब्लॉक में नियुक्त/पदस्थापित विभाग के किसी भी अधिकारी से है चाहे उसका पद या वेतनमान कुछ भी हो, से अभिप्रेत है।
- 6) "प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य तत्समय विभाग के निदेशालय में योजना के क्रियान्वयन अधिकारी से अभिप्रेत है।
- 7) "पालनहार योजना" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही पालनहार योजना से अभिप्रेत है।

3

- 8) "अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" से तात्पर्य ऐसे निम्नांकित श्रेणी के बच्चे से है:-
- I. "अनाथ बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो, से अभिप्रेत है।
 - II. "न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों को न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो, से अभिप्रेत है।
 - III. "निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो एवं माता सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हो, से अभिप्रेत है।
 - IV. "पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो व माता द्वारा बच्चों का परित्याग (छोड़कर) पुनर्विवाह कर लिया गया हो, से अभिप्रेत है।
 - V. "एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता/पिता एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हो, से अभिप्रेत है।
 - VI. "कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता/पिता कुष्ठ रोग पीड़ित हो, से अभिप्रेत है।
 - VII. "नाता जाने वाली माता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो एवं माता द्वारा अपने बच्चों का परित्याग कर दिया हो तथा उसे नाते गए हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो, से अभिप्रेत है।
 - VIII. "विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है जिनके माता/पिता के पास चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र हो, से अभिप्रेत है।
 - IX. "तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है जिनकी माता का वैध रूप से विवाह विच्छिन्न हो चुका हो और जिनके पास न्यायालय द्वारा जारी आदेश/विवाह-विच्छेद डिक्री हो अथवा ऐसी समस्त महिलाएं, जिनके विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित होने का न्यायालय का दस्तावेज हो अथवा ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं, जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ-पत्र व दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा "ऐसी महिलाएं" जो 3 वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही हैं एवं पति से कोई संबंध नहीं हो, से अभिप्रेत है।
 - X. "सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता/पिता के बच्चे" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता/पिता के पास सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र हो, से अभिप्रेत है।

- XI. "पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत परिभाषित श्रेणी के बालक/बालिका के लिए आवास, भोजन वस्त्र, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति का दायित्व ले रहा है, से अभिप्रेत है।

3. उद्देश्य ::

- 1) राज्य के ऐसे अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण के परिभाषित श्रेणियों में आने वाले बालक/बालिकाओं को परिवार के ही अन्दर समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान को सुनिश्चित करना।
- 2) ऐसे बालक/बालिका एवं पालनहार परिवारों को (जिसे परिभाषा-2 में उल्लेखित किया गया है) समय पर पात्रतानुसार निरन्तर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना।

4. लाभान्वित श्रेणी ::

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
3. पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे (एक समय में अधिकतम 3 बच्चे)
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
7. नाता जाने वाली माता के बच्चे (एक समय में अधिकतम 3 बच्चे)
8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
9. पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
10. सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे

5. अनुदान पात्रता एवं शर्तें ::

- 1) बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए किन्तु बच्चे द्वारा 12 वीं कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत होने/रहने से पूर्व यदि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को एक अतिरिक्त वर्ष तक (19 वर्ष तक) की उम्र पूर्ण करने तक लाभ प्रदान किया जा सकेगा। उक्त लाभ बच्चे के 19 वर्ष की उम्र पूर्ण होने या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् देय नहीं होगा।
- 2) पालनहार राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो, का प्रमाण-पत्र।

- 3) योजना में परिभाषित बच्चे आवेदन की तिथि को पालनहार के पास रह रहा हो।
(बच्चे के अन्य जिले/राज्य में अध्ययनरत् होने की स्थिति में भी अनुदान पात्रता मानी जायेगी)
- 4) पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 5) विधवा महिला, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता, विशेष योग्यजन माता/पिता तथा सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के अलावा शेष श्रेणी के बच्चों के पालनहार के लिये—
 - I. पालनहार को ऐसे बच्चे को अपने घर में रखना होगा एवं उन्हें घर जैसी सामान्य सुविधायें देनी होगी।
 - II. अनाथ, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता, पुनर्विवाहित विधवा माता एवं नाता जाने वाली माता की श्रेणी के बच्चे हेतु उनके 18 वर्ष से अधिक आयु के भाई अथवा बहन भी पालनहार बन सकेंगे।
 - III. अनाथ, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता, पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता द्वारा परित्याग किये गये बच्चों के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय द्वारा जारी यह बच्चा अनाथ है एवं वर्तमान में के घर पर रहता है, जो इनकी पूरी देखभाल करते हैं, से सम्बंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 6) अनाथ बच्चे के संदर्भ में बच्चे के माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7) न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जारी दण्डादेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 8) विधवा महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।
- 9) पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10) एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के संदर्भ में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र/ग्रीन डायरी प्रस्तुत करनी होगी।
- 11) कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12) नाता जाने वाली माता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड मेम्बर/पार्षद, पटवारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/स्थानीय निकाय की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

25

- 13) विशेष योग्यजन माता/पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14) तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।

6. अनुदान राशि ::

योजनान्तर्गत बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा आदि के लिए पालनहार को निम्नानुसार अनुदान राशि दी जायेगी:-

- 1) अनाथ श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु : 1500 रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु : 2500 रुपये प्रतिमाह
- 2) शेष अन्य सभी श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु : 500 रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु : 1000 रुपये प्रतिमाह
- 3) पुस्तकें/स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु : 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय **(विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)**
- 4) 3-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण/शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा। इन बच्चों को तीन वर्ष (बच्चे की जन्म तिथि से तीन वर्ष की आयु पूर्ण करने से है) की उम्र में शाला पूर्व शिक्षा हेतु किसी आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा एवं आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय में जाने का प्रति वर्ष सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा योजना का लाभ देय नहीं होगा)
- 5) 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे का विद्यालय/महाविद्यालय/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा हेतु किसी संस्थान में जाना अनिवार्य होगा। (6 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा एवं विद्यालय/महाविद्यालय/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा हेतु किसी संस्थान में जाने का प्रति वर्ष सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा योजना का लाभ देय नहीं होगा)

7. पालनहार का दायित्व::

- 1) पालनहार को ऐसे बच्चे को अपने घर में रखना होगा एवं पालनहार द्वारा ऐसे बच्चों को घर में परिवार जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होंगी।
- 2) पालनहार द्वारा बच्चे के प्रति अपने बच्चों के समान व्यवहार, स्नेह एवं देखरेख करनी होगी। किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने देंगे।
- 3) पालनहार द्वारा बच्चों की देखरेख, शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जायेगा।

- 4) यदि पालनहार एवं लाभान्वित बच्चे अन्य जिले/राज्य में पलायन करते हैं अथवा स्थानीय निवास पता बदलते हैं, तो पालनहार को इसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को देनी होगी।
- 5) पालनहार को बच्चे का आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष जमा करवाना अनिवार्य होगा।
- 6) यदि कोई पालनहार किसी कारण से अपात्र हो जाता है, जैसे पालनहार का राजकीय सेवामें आना, वार्षिक आय में बढ़ोतरी, विधवा का पुनर्विवाह हो जाना, पालनहार/बच्चे की मृत्यु हो जाना, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह कर लेने की स्थिति में जनाधार पोर्टल पर डेटा बेस में आवश्यक परिवर्तन करवाना, पालनहार/परिवार का दायित्व होगा।

8. पालनहार को बदलना ::

पालनहार द्वारा ऐसे बच्चों को घर जैसी सामान्य सुविधाएं नहीं देने, अपने बच्चों के समान व्यवहार, स्नेह एवं देखभाल नहीं करने, बच्चों को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त किये जाने की स्थिति में जिला अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच कर पालनहार को बदला जा सकेगा।

9. ऑनलाइन आवेदन एवं अनुदान प्रक्रिया ::

- 1) पालनहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी।
- 2) जनाधार पोर्टल पर विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, विशेष योग्यजन एवं सिलिकोसिस पेंशनर्स के 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के प्रकरण में पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक एवं बच्चों की सूचना को प्रमाणिक माना जावेगा। प्रमाणन के आधार पर पात्र परिवारों को पालनहार योजना में आवेदन करने हेतु उनके मोबाईल नम्बर पर सिस्टम आधारित वायस कॉल (Voice Call)/मैसेज (SMS) भेजा जायेगा।
- 3) जनाधार पोर्टल पर विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता, विशेष योग्यजन एवं सिलिकोसिस चिन्हित पेंशनर्स एवं बच्चों को आवेदन हेतु प्रथम बार बायोमेट्रीक/ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा।
- 4) बच्चों के अध्ययन की स्थिति के लिए शाला दर्पण पोर्टल से आधार नम्बर मैच करवा कर सीधे ही विद्यालय में अध्ययनरत रहने का प्रमाणन करवाया जावेगा। जिन बच्चों के अध्ययन की स्थिति शाला दर्पण पोर्टल से प्रमाणित नहीं हो पायेगी, उन बच्चों का पृथक से अध्ययनरत रहने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5) योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता के जनाधार पोर्टल/अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा संचालित पोर्टल पर उपलब्ध सूचना/दस्तावेज के प्रमाणन होने पर उनकी पृथक से प्रति उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी एवं जो आवश्यक सूचना/दस्तावेज पोर्टल से प्रमाणित/उपलब्ध नहीं होंगे, उनकी प्रति ई-मित्र कियोस्क पर आवेदन करते समय उपलब्ध कराई जायेगी।

- 6) योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र में कमी होने पर आक्षेप लगाये जाने के दिनांक से 30 दिवस, 45 दिवस एवं 60 दिवस में आवेदन में कमी-पूर्ति कराने हेतु सिस्टम आधारित मैसेज (SMS) के माध्यम से सूचित किये जाने के उपरान्त भी आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जावेगा। 90 दिवस में आवेदक द्वारा कमी-पूर्ति नहीं करने की स्थिति में आवेदन को स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।
- 7) पालनहार द्वारा आवेदन पत्र माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किये जाने पर उस माह का पूर्ण भुगतान किया जायेगा एवं माह की 16 तारीख से माह के अंतिम दिवस तक आवेदन करने पर अगले माह की 01 तारीख से भुगतान किया जायेगा।
- 8) बच्चे की आयु 6 वर्ष, माह की 15 तारीख तक किसी भी तिथि को पूर्ण करने की स्थिति में उस माह के लिये 1000/2500 रुपये प्रतिमाह एवं माह की 16 तारीख से माह के अंतिम दिवस तक किसी भी तिथि को 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उस माह के लिये 500/1500 रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा।
- 9) बच्चे की आयु 18/19 वर्ष, माह की 15 तारीख तक पूर्ण होती है तो उस माह की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माह की 16 तारीख से माह के अंतिम दिवस तक किसी भी तिथि पर पूर्ण होने पर उस माह का भुगतान किया जायेगा।
- 10) पुस्तक/स्टेशनरी, वस्त्र, जूते आदि हेतु वार्षिक एकमुश्त देय अनुदान राशि 2000 का भुगतान बच्चे का आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीयन/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र/नवीनीकरण होने के उपरान्त देय मासिक अनुदान राशि के साथ किया जायेगा।
- 11) आवेदक द्वारा स्वयं के जीवित होने एवं बच्चों के आंगनवाड़ी में पंजीकृत/विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) अधिकतम 6 माह (माह जुलाई से दिसम्बर) की समयावधि में करवाना अनिवार्य होगा। पालनहार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में चालू शैक्षणिक सत्र में आवेदन पत्र स्वतः अस्थायी रूप से निरस्त (Temporary Reject) कर दिया जाएगा।
- 12) आवेदक द्वारा 1 शैक्षणिक वर्ष (माह जुलाई से जून) में वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन को लंबित शैक्षणिक सत्र के लिये स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक उक्त अवधि का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।
- 13) आवेदन निरस्त होने के पश्चात् योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नवीन आवेदन करना होगा एवं आवेदन तिथि से ही देय राशि का भुगतान किया जावेगा।
- 14) 01 जुलाई से 31 मार्च तक आवेदन करने वाले आवेदकों को राशि रूपए 2000 का वार्षिक एकमुश्त अनुदान दिया जायेगा तथा 01 अप्रैल से 30 जून के मध्य आवेदन करने पर आवेदक को आवेदित शैक्षणिक वर्ष का एकमुश्त अनुदान राशि रूपए 2000 का भुगतान नहीं किया जायेगा व ऐसे आवेदक अगले शैक्षणिक वर्ष से एकमुश्त राशि के पात्र होंगे। उक्त एकमुश्त राशि विधवा पालनहार एवं नाता पालनहार में देय नहीं होगी।
- 15) बच्चे की जन्म तिथि अंकित करने हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता तय की जाती है:-

I. प्रथम प्राथमिकता शाला दर्पण से प्राप्त जन्म तिथि।

35

- II. द्वितीय प्राथमिकता जनाधार पोर्टल से प्राप्त जन्म तिथि (शाला दर्पण से जन्म तिथि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में)
 - III. तृतीय प्राथमिकता आधार पोर्टल से प्राप्त जन्म तिथि (शाला दर्पण एवं जनाधार पोर्टल से जन्म तिथि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में)।
 - IV. बच्चों की जन्म तिथि जनाधार पोर्टल अथवा आधार पोर्टल से प्राप्त होने पर आंगनवाड़ी/विधालय द्वारा जारी मैन्यूवल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि से मैच नहीं करवाया जावेगा।
 - V. बच्चों के आवेदन करते समय शाला दर्पण/जनाधार पोर्टल/आधार पोर्टल से प्राप्त जन्म तिथि के आधार पर ही 18 अथवा 19 आयु वर्ष पूर्ण करने तक योजना का लाभ दिया जावेगा।
 - VI. यदि किसी लाभार्थी द्वारा बच्चे के 18 अथवा 19 आयु वर्ष पूर्ण करने से पहले जन्म तिथि में संशोधन करवाये जाने की स्थिति में, अधिकतम एक बार बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र/10 वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर जनाधार/आधार पोर्टल के माध्यम से संशोधन हो सकेगा।
- 16) यदि लाभान्वित श्रेणी का कोई बच्चा किसी राजकीय/अनुदानित गृहों/आवासीय विद्यालयों में आवासरत है एवं उन्हें आवास, भोजन, वस्त्र एवं शिक्षण-प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो रही है, तो ऐसे बच्चों को योजनान्तर्गत अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।

10. ऑनलाइन आवेदन की जांच/स्वीकृति/भुगतान :

आवेदन पत्रों का एक निश्चित समयसीमा के भीतर निस्तारण एवं भुगतान करने हेतु निम्नानुसार समय सारणी (Timeline) निर्धारित की जाती है:-

- 1) स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को 30 दिवस की कालावधि के भीतर स्वीकृत करना होगा। निर्धारित अवधि में स्वीकृत नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जाएगा तथा ऐसे आवेदन पत्रों को डिम्ड एप्रुव्ड (Deemed Approved) माना जाएगा। गलत स्वीकृत होने की स्थिति में सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा।
- 2) स्वीकृत आवेदन पत्रों की 15 दिवस के भीतर भुगतान स्वीकृति जारी करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी तो आवेदन पत्रों की स्वतः भुगतान स्वीकृति संख्या जारी हो जाएगी।



- 3) स्वीकृत आवेदन पत्रों का 15 दिवस के भीतर बिल बनाना होगा। यदि (बजट उपलब्ध होने की स्थिति में) बिल निर्धारित अवधि में बनाकर भुगतान हेतु कोषागार नहीं भिजवाया गया तो, निदेशालय के पालनहार अनुभाग में सूचना प्राप्त हो जाएगी तथा सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पोर्टल से कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा। निदेशालय से अनुमति दिये जाने पर ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी उस बिल को पुनः बना सकेगा।
- 4) प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह तक स्वीकृत आवेदन पत्रों का बिल बनाकर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

11. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा ::


- 1) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे।
- 2) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में जिलाधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 3) पालनहार योजना में अनाथ, न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता, पुनर्विवाहित विधवा माता एवं नाता जाने वाली माता की श्रेणी में लाभान्वित सभी बच्चों का प्रति तीन वर्ष में एक बार विभागीय जिलाधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक अथवा स्वतंत्र एजेंसी/स्वयं सेवी संस्था से निरीक्षण/सत्यापन करवाये जायेंगे।
- 4) विभाग द्वारा निदेशालय, मूल्यांकन संगठन, राजस्थान अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति के आंकलन एवं गुणवत्ता सुधार हेतु मूल्यांकन करवाया जायेगा।
- 5) राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग, भुगतान एवं प्रशासनिक कार्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 6) पालनहार योजना की समीक्षा प्रतिमाह विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक द्वारा की जायेगी।

12. नियमों में शिथिलता ::

इन नियमों की व्याख्या व दुर्लभ प्रकरणों में शिथिलता के लिये आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे। किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

34

उक्त नियम वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 2901/31.12.2004, 1698/16.08.2005, 127/23.04.2007, 100904902 दिनांक 08.01.2010, 101001333 दिनांक 28.04.2022, 101004466 दिनांक 09.02.2011, 101204328 दिनांक 26.11.2012, 161801023 दिनांक 20.09.2018, 161900606 दिनांक 12.06.2019, 161901230 दिनांक 21.01.2020 एवं 162200321 दिनांक 28.02.2022 से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त जारी पालनहार योजना संचालन नियम 2007 एवं समय-समय पर जोड़ी गई नवीन श्रेणियों/संशोधनों को एकरूपता प्रदान कर जारी किये जा रहे हैं।


27/06/2022
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/2022/35993-36369 जयपुर, दिनांक: 28/06/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., शासन सचिवालय, राज.।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/गृह/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/श्रम एवं नियोजन विभाग/कौशल विकास विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, राज.।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, वित्त वित्त व्यय-2, शासन सचिवालय, राज.।
8. संभागीय आयुक्त, (समस्त)
9. जिला कलेक्टर, (समस्त)
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, (समस्त)
12. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।



28/6/22
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

पालनहार योजना पोर्टल मार्गदर्शिका (ई-मित्र कियोस्क स्तर)

Step 1:

सबसे पहले Internet Explorer में <https://sso.rajasthan.gov.in/signin> दर्ज करें। (Internet Explorer version must be 9 or 11)

SSO portal पर पालनहार योजना में आवेदन करने हेतु ईमित्र कियोस्क लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड दर्ज करें।



Step2:

Login करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। Emitra New पर क्लिक करें।

The screenshot displays the Rajasthan Single Sign-On (SSO) v 4.5 dashboard. The header includes the SSO logo, the text 'Rajasthan Single Sign-On (SSO) v 4.5 Government of Rajasthan', and the current date and time: '07-10-2016 12:54 PM'. Below the header, there are three main sections: 'APPLICATIONS', 'BILL PAYMENT', and 'MY LOGS'. The 'APPLICATIONS' section is active and shows a grid of icons for various services. An arrow points to the 'e-Mitra New' icon, which is highlighted. A callout box with the text 'Click on Emitra New' is positioned below the arrow.

Current Date and Time : 07-10-2016 12:54 PM

CITIZEN (G2C) MY TRANSACTIONS MY LOGS

APPLICATIONS BILL PAYMENT

Application Status Artisan Reg. BRSY Dashboard e-Mitra e-Mitra New e-Mitra New Reports Employment LDMS MSME Raj eVault

Raj Sampark Rajdharaa RajFAB RIPS RRECL RSPCB RTI Single Window SJMS Weaver Reg. Wildlife & More

Click on Emitra New

© Department of Information Technology and Communication (DOIT&C), Government of Rajasthan. All Rights Reserved.
(Helpdesk: helpdesk.sso@rajasthan.gov.in)

Release Date: 30-09-2016
Release Notes

Step-3:

Emitra New पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। Services-Avail Service पर क्लिक करने के बाद Advance Search पर क्लिक करें।

The screenshot displays the e-mitra portal interface. The top header includes the Government of Rajasthan logo, contact information (0141-6450126, 0141-6450109, newemitra.helpdesk@gmail.com, helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in), and the e-mitra logo with the tagline 'Effective Governance Better Citizen Services'. The left sidebar contains a menu with options: Home, Inbox, Financial, Services, Transaction History, Citizen Registration, Avail Service, Incomplete Transactions, Receipt Reprint, Avail Application Services, Service Workflow, User Management, and Tool Management. The 'Services' menu item is highlighted with a white arrow pointing to it. A callout box with the text 'Click on Services-Avail Service' is positioned over the 'Services' menu item. The main content area shows the 'SERVICES' section with a sub-section 'Avail Service'. Below this, there is a search bar labeled 'Free Search(Services)' with a magnifying glass icon, and a link labeled 'Advance Search'.


Step-4:

Advance Search पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। Palanhar Reg.पर क्लिक करें।

The screenshot shows the e-mitra Rajasthan portal interface. The top header includes the Government of Rajasthan logo, contact information (0141-6450126, 0141-6450109, newemitra.helpdesk@gmail.com, helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in), and the e-mitra logo. The left sidebar contains navigation links: Home, Inbox, Financial, Services, Transaction History, Citizen Registration, Avail Service, Incomplete Transactions, Receipt Reprint, Avail Application Services, Service Workflow, User Management, and Tool Management. The main content area is titled 'SERVICES' and 'Avail Service'. It features a 'Free Search(Services)' input field and an 'Advance Search' link. Below this, the 'Search Result' section shows two dropdown menus: 'UTILITY' and 'SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT'. A third dropdown menu is open, showing '---Select Service---' and 'Palanhaar Registration'. A text box with an arrow points to the 'Advance Search' link, with the text: 'Click on Advance Search and select Utility-Social Justice & Empowerment - Palanhar Reg.'


Step-5:

Palanhar Reg.पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। Ok Button पर क्लिक करें।



Step-6:


नये पालनहार का आवेदन करने के लिये Add New Palanhar पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO | Signout

Kiosk Dashboard











Palanhaar Registration Applications

 Add New Palanhaar

For New Palanhaar Registration Click here

Show rows 10

Search:

S.No.	Application ID	Application Submission Date/ Time	Palanhaar Name	Children	Status	Add Child	View
1	PALANHAR/2016-17/1000018	24/08/2016 12:26:35 PM	VIMALA DEVI	1	Approved (DLO-JAIPUR) as on 24/08/2016		
2	PALANHAR/2016-17/1000017	22/08/2016 18:20:53 PM	RADHA	1	Approved (DLO-JAIPUR) as on 22/08/2016		
3	PALANHAR/2016-17/1000016	12/08/2016 18:22:11 PM	LALI DEVI	1	Forwarded to DLO (DLO-JAIPUR) as on 24/08/2016		
4	PALANHAR/2016-17/1000015	12/08/2016 16:34:46 PM	JAMMNA DEVI	1	Pending at Verifier (VERIFIER-BIKANER) as on 12/08/2016		
5	PALANHAR/2016-17/1000014	12/08/2016 16:23:31 PM	SHEELA KANWAR	1	Pending at Verifier (VERIFIER-ALWAR) as on 10/08/2016		
6	PALANHAR/2016-17/1000010	12/08/2016 16:18:24 PM	NARESH CHAND AGRAWAL	1	Pending at Verifier (VERIFIER-KARAULI) as on 10/08/2016		
7	PALANHAR/2016-17/1000010	12/08/2016 15:57:42 PM	BALKRISHNA DUBE	1	Pending at Verifier (VERIFIER-JHALAWAR) as on 12/08/2016		
8	PALANHAR/2016-17/1000010	12/08/2016 15:54:06 PM	USHA	1	Pending at Verifier (VERIFIER-JAIPUR) as on 12/08/2016		
9	PALANHAR/2016-17/1000010	11/08/2016 18:09:52 PM	BHANVARI	1	Rejected (DLO-JAIPUR) as on 11/08/2016		
10	PALANHAR/2016-17/1000004	25/07/2016 15:48:50 PM	REKHA	1	Approved (DLO-JAIPUR) as on 25/07/2016		

Showing 1 to 10 of 17 rows


Previous 1 2 Next


ssotest.rajabsthan.gov.in/palanhaar/SignUp.aspx

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

Step-7:

Add New Palanhar पर क्लिक करने के बाद पालनहार का जनआधार नम्बर दर्ज करें। जनआधार नम्बर दर्ज करने के बाद **Validate** पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

 [Back To SSO](#) [Signout](#)

Palanhaar Registration Application Form/ पालनहार पंजीकरण आवेदन प्रपत्र

Bhamashah Authentication/ भामाशाह प्रमाणीकरण

[Back To List](#)

*BHAMASHAH FAMILY/ ACKNOWLEDGEMENT ID/ भामाशाह परिवार कार्ड/ पावती संख्या

ENTER BHAMASHAH FAMILY/ ACKNOWLEDGEMENT ID


VALIDATE

Enter Bhamashah Family/Acknowledgment ID and Click Validate

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

Step - 8:

Validate पर क्लिक करने के बाद आवेदन का पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। जिसमें आवेदक का पूर्ण विवरण अंकित करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Fill All mendetory detail of Palanhar

[Back To SSO](#) [Signout](#)

A. Personal Information/ व्यक्तिगत जानकारी

*AADHAAR NO./ आधार संख्या

886803853471

*DATE OF BIRTH/ जन्म तिथि

10/10/1984

*MOTHER NAME/ माँ का नाम

SHARDA

*GENDER/ लिंग

☐ MALE/ पुरुष ☒ FEMALE/ महिला ☐ TRANSGENDER/ अप्र

*PHOTO/ फोटो

BROWSE... NO FILE SELECTED.

*CAST CATEGORY/ जाति वर्ग

☐ SC ☐ ST ☐ OBC ☒ GEN ☐ MINORITY

*ECONOMIC GROUP/ आर्थिक वर्ग

☐ APL ☐ BPL ☐ ANTYODAYA ☒ आर्थिक वर्ग चयन करें

*MARITAL STATUS/ वैवाहिक स्थिति

☒ MARRIED/ विवाहित ☐ UNMARRIED/ अविवाहित

*IS SPECIALLY ABLED/DISABILITY विशेष योग्यजन/ विकलांग

☐ YES/ हाँ ☒ NO/ नहीं

*PROFESSION/ व्यवसाय

ENTER PROFESSION पालनहार का व्यवसाय अंकित करें

*NAME/ नाम

ARTI

ENTER FULL NAME पालनहार का हिन्दी में नाम दर्ज करें

*NAME OF THE HEAD OF THE HOUSEHOLD/ घर के मुखिया का नाम

ARTI

*FATHER NAME/ पिता का नाम

BUPENDRA

*EDU. QUALIFICATION/ शैक्षणिक योग्यता

POST GRADUATE/ स्नातकोत्तर

*RELIGION/ धर्म

☐ HINDU ☐ MUSLIM ☐ SIKH ☐ CHRISTIAN ☐ BUDDHIST ☐ OTHERS ☒ पालनहार का धर्म चयन करें

*CARD NO. (APL/BPL/ANTYODAYA, IF ANY)/ कार्ड संख्या (एपीएल/ बीपीएल/ अन्त्योदय, यदि कोई हो तो)

ENTER CARD NUMBER एपीएल/ बीपीएल/ अन्त्योदय कार्ड का नम्बर दर्ज करें

*SPOUSE NAME/ जीवनसाथी का नाम

PRABAT

*IS DIVORCED/ WIDOW/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ विधवा/ परित्यक्ता महिला

☐ YES/ हाँ ☒ NO/ नहीं पालनहार को तलाकशुदा/ विधवा/ परित्यक्ता पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में "हाँ" चयन करें

*ANNUAL INCOME (INR)/ वार्षिक आय (₹)

ENTER ANNUAL INCOME पालनहार की वार्षिक आय दर्ज करें

*MP CONSTITUENCY/ लोकसभा क्षेत्र

--SELECT MP-- पालनहार के लोकसभा क्षेत्र का चयन करें

*MLA CONSTITUENCY/ विधानसभा क्षेत्र

--SELECT MLA-- पालनहार के विधानसभा क्षेत्र का चयन करें

E. Bank Detail/ बैंक का विवरण

*BANK NAME/ बैंक का नाम

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

*ACCOUNT NUMBER/ खाता संख्या

51105031408

*IFSC CODE/ आई.एफ.एस.सी कोड

SBBJ0010840

BRANCH NAME/ शाखा का नाम

ENTER BRANCH NAME बैंक शाखा का नाम दर्ज करें

*STATE/ राज्य

RAJASTHAN

F. Attachments/ संलग्नक

Note: Valid File Types: jpg/jpeg/png/pdf,Max. File Size: 512KB per attachment

*DOMICILE ISSUING DISTRICT/ अधिवास जारी करना जिला

--SELECT DISTRICT-- मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का चयन करें

*DOMICILE CERTIFICATE/ अधिवास प्रमाणपत्र

BROWSE... NO FILE SELECTED. मूल निवास प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करें

SUBMIT


RESET

CANCEL

Click Submit button after fill all detail of palanhar

Step - 9:

Submit Button पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पालनहार के बच्चों को जोड़ने हेतु Add Child button पर क्लिक करें।





















**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO | Logout

Kiosk Dashboard

Palanhaar Registration Applications | Add New Palanhaar

Show rows 10 | Search:

S.No.	Application ID	Application Submission Date/ Time	Palanhaar Name	Children	Status	Add Child	View
1		26/08/2016 12:40:37 PM	KAMLESH	0	Form Not Submitted		
2	PALANHAR/2016-17/1000018	24/08/2016 12:26:35 PM	VIMALA DEVI	1	Approved (DLO-JAIPUR) as on 24/08/2016		
3	PALANHAR/2016-17/1000017	22/08/2016 18:20:53 PM	RADHA	1	Approved (DLO-JAIPUR) as on 22/08/2016		
4	PALANHAR/2016-17/1000016	12/08/2016 18:22:11 PM	LALI DEVI	1	Forwarded to DLO (DLO-JAIPUR) as on 24/08/2016		
5	PALANHAR/2016-17/1000015	12/08/2016 16:34:46 PM	JAMMNA DEVI	1	Pending at Verifier (VERIFIER-BIKANER) as on 12/08/2016		
6	PALANHAR/2016-17/1000014	12/08/2016 16:23:31 PM	SHEELA KANWAR	1	Pending at Verifier (VERIFIER-ALWAR) as on 10/08/2016		
7	PALANHAR/2016-17/1000010	12/08/2016 16:18:24 PM	NARESH CHAND AGRAWAL	1	Pending at Verifier (VERIFIER-KARAUJI) as on 10/08/2016		
8	PALANHAR/2016-17/1000010	12/08/2016 15:57:42 PM	BALKRISHNA DUBE	1	Pending at Verifier (VERIFIER-JHALAWAR) as on 12/08/2016		
9	PALANHAR/2016-17/1000010	12/08/2016 15:54:06 PM	USHA	1	Pending at Verifier (VERIFIER-JAIPUR) as on 12/08/2016		
10	PALANHAR/2016-17/1000010	11/08/2016 18:09:52 PM	BHANVARI	1	Rejected (DLO-JAIPUR) as on 11/08/2016		


Showing 1 to 10 of 18 rows | Previous 1 2 Next

Click here to add child

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

Step - 10:

Add Child पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पालनहार के बच्चों को जोड़ने हेतु बच्चे का आधार कार्ड नम्बर दर्ज करें। आधार कार्ड नम्बर दर्ज करने के बाद Validate button पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO Signout

Children List

S.No.	Aadhaar Id/ EID	Name	DOB	Gender	Category	Study Class	Center Name
1	883575519933	RAJ KAMAL SALVI	19/11/1987	MALE	CHILDREN OF DIVORCED/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे	AANGANWADI	TEST

Add New Child Details/ गोद लिए जाने वाले बालक/ बालिका का विवरण

Back To List

*AADHAAR ID/ EID/ आधार संख्या/ आधार पंजीकरण संख्या


ENTER AADHAAR ID/ EID


Enter Aadhar Card No and Click Validate Button

VALIDATE

Step - 11:

Validate button पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पालनहार के बच्चों को जोड़ने हेतु बच्चे का बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।






Rajasthan Single Sign On

One Identity for all Applications

Aadhaar ID (UID)/ आधार नंबर* XXXX-XXXX-5776

Authentication Type/ प्रमाण का प्रकार* ☒ BIOMETRIC ☐ OTP


Biometric Device/ बायोमेट्रिक उपकरण* --Select Device--


Start Capture Skip Cancel

❗ यदि आपके पास उपरोक्त लिस्ट में से कोई फिंगर प्रिंट डिवाइस उपलब्ध है तो पहले लिस्ट से डिवाइस चुनें।
❗ ई-मित्र कियोस्क यूजर्स अपना मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर चेज करवाने के लिए emitra.support@gmail.com या emitra.operation@gmail.com पर लिखें।

✉ helpdesk.sso@rajasthan.gov.in
☎ 0141-5153222 Ext. 23717 (Weekdays from 10 AM to 6 PM)

बच्चे का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में बच्चे के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर के माध्यम से सत्यापन करवाना अनिवार्य है। (आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में पहले आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट करवाना अनिवार्य है।) OTP के माध्यम से सत्यापन करने के उपरान्त Continue Button पर क्लिक करें।






Rajasthan Single Sign On

One Identity for all Applications

Aadhaar ID (UID)/ आधार नंबर* XXXX-XXXX-0653

Authentication Type/ प्रमाण का प्रकार* ☐ BIOMETRIC ☒ OTP

One Time Password (OTP)/ ओ.टी.पी.*



ContinueCancel


❗ यदि आपके पास उपरोक्त लिस्ट में से कोई फिंगर प्रिंट डिवाइस उपलब्ध है तो पहले लिस्ट से डिवाइस चुनें।


❗ ई-मित्र कियोस्क यूजर्स अपना मोबाइल नंबर, ईमेल तथा आधार नंबर चेज करवाने के लिए emitra.support@gmail.com या emitra.operation@gmail.com पर लिखें।

✉ helpdesk.sso@rajasthan.gov.in
☎ 0141-5153222 Ext. 23717 (Weekdays from 10 AM to 6 PM)

Step - 12:

Continue Button पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। सर्वप्रथम बच्चों का हिन्दी में नाम दर्ज करें। उसके बाद बच्चों के पालन पोषण करने वाले पालनहार की योजना की पात्रता जैसे विधवा/तलाकशुदा/अनाथ के अनुसार पालनहार की पात्रता का चयन करें। स्क्रीन के अनुसार पालनहार तलाकशुदा है तो तलाकशुदा/परित्यक्ता के बच्चे का चयन किया हुआ है।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO

Signout

1	883575519933	RAJ KAMAL SALVI	19/11/1987	MALE	CHILDREN OF DIVORCED/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे	AANGANWADI	TEST
---	--------------	-----------------	------------	------	--	------------	------


Add New Child Details/ गोद लिए जाने वाले बालक/ बालिका का विवरण

Back To List

*AADHAAR ID/ EID/ आधार संख्या/ आधार पंजीकरण संख्या

646731550653

VALIDATE



*NAME/ नाम

UTTAM KUMAR SAHU

उत्तम कुमार साहु

*GENDER/ लिंग

☒ MALE/ बालक

☐ FEMALE/ बालिका

☐ TRANSGENDER/ अन्य

*DATE OF BIRTH/ जन्म तिथि

04-12-1988

*CATEGORY/ श्रेणी

--SELECT CATEGORY--

--Select Category--

Children of divorced/ abandoned women/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे

Children of legally remarried women/ पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे

Children of leprosy patient mother/ father/ कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/ पिता के बच्चे

Children of parents sentenced life imprisonment (LI) or capital punishment/ न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता/ पिता के बच्चे

Children of specially abled mother/ father/ विशेष योग्यजन माता/ पिता के बच्चे

Children of HIV/ AIDS mother/ father/ एच.आई.वी/ एड्स पीड़ित माता/ पिता के बच्चे

Children whose mother gone to NATA/ नाता जाने वाली माता के बच्चे

Orphan children/ अनाथ बच्चे

Children of widow/ निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे

Special Category/ विशेष श्रेणी

*STUDY CLASS AT TIME OF APPLICATION/ आवेदन के समय शैक्षणिक स्तर


--SELECT STUDY CLASS--

ADD CHILD

RESET

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

पालनहार की श्रेणी चयन करने के उपरान्त स्क्रीन में प्रदर्शित आवश्यक सूचना दर्ज करें। समस्त सूचना दर्ज करने के बाद Add Child Button पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO Signout

UTTAM KUMAR SAHUउत्तम कुमार साहू

☒ MALE/ बालक ☐ FEMALE/ बालिका ☐ TRANSGENDER/ अन्य

*DATE OF BIRTH/ जन्म तिथि
04-12-1988

*CATEGORY/ श्रेणी
CHILDREN OF DIVORCED/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे

UPLOAD CERTIFICATE OF AANGANWADI ATTEND/ SCHOOL GOING/ आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने/ विद्यालय में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न-परिशिष्ट-ब)
BROWSE... NO FILE SELECTED. बच्चे का अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करें।

*PENSION PAYMENT ORDER NUMBER (PPO)/ पेंशन भुगतान आदेश संख्या (पी. पी. ओ)
TEST00000000000 पालनहार के पेंशन के आदेश क्रमांक दर्ज करें

*STUDY CLASS AT TIME OF APPLICATION/ आवेदन के समय शैक्षणिक स्तर
SCHOOL (GOVT.)/ सरकारी विद्यालय विद्यालय का चयन करें

*SCHOOL ADDRESS/ विद्यालय का पता
TEST विद्यालय का पता दर्ज करें

*SCHOOL NAME/ विद्यालय का नाम
TEST विद्यालय का नाम दर्ज करें

*CHILD REGISTRATION NUMBER/ छात्र पंजीयन क्रमांक
TEST विद्यालय में बच्चे के पंजीयन क्रमांक दर्ज करें

*CLASS/ कक्षा
5 बच्चे की वर्तमान अध्ययन करने की कक्षा का चयन करें

*MOBILE NUMBER OF PRINCIPAL/ प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर
00000000000 प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर दर्ज करें

*NAME OF PRINCIPAL/ प्रधानाध्यापक का नाम
TEST विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम दर्ज करें।

LANDLINE NUMBER OF SCHOOL/ विद्यालय का लैंडलाइन नंबर
00000000000


Click Add Child Button

ADD CHILD RESET CANCEL

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

Step - 13:

आवेदन को सबमिट करने के लिये Back to list Button पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

[Back To SSO](#) [Signout](#)

Children List


S.No.	Aadhaar Id/ EID	Name	DOB	Gender	Category	Study Class	Center Name
1	883575519933	RAJ KAMAL SALVI	19/11/1987	MALE	CHILDREN OF DIVORCED/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे	AANGANWADI	TEST
2	646731550653	UTTAM KUMAR SAHU	04/12/1988	MALE	CHILDREN OF DIVORCED/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे	SCHOOL (GOVT.)/ सरकारी विद्यालय	TEST

Add New Child Details/ गोद लिए जाने वाले बालक/ बालिका का विवरण

[Back To List](#)

*AADHAAR ID/ EID/ आधार संख्या/ आधार पंजीकरण संख्या


VALIDATE



Click on Back to list

Step - 14:

आवेदन को सबमिट करने के लिये View Button पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO | Signout

Kiosk Dashboard

Palanhaar Registration Applications + Add New Palanhaar

Show rows 10

Click on View to final submit Search:

S.No.	Application ID	Application Submission Date/ Time	Palanhaar Name	Children	Status	Add Child	View
1		15/09/2016 18:21:04 PM	MEENA DEVI	2	Form Not Submitted		
2		03/09/2016 14:18:50 PM	MANHOREE DEVI	1	Form Not Submitted		
3		29/08/2016 10:16:40 AM	GEETA DEVI	1	Form Not Submitted		
4		29/08/2016 10:12:51 AM	PREM	0	Form Not Submitted		
5		26/08/2016 12:40:37 PM	KAMLESH	0	Form Not Submitted		
6	PALANHAR/2016-17/1000018	24/08/2016 12:26:35 PM	VIMALA DEVI	1	Objection (VERIFIER-JAIPUR) as on 24/08/2016		
7	PALANHAR/2016-17/1000017	22/08/2016 18:20:53 PM	RADHA	1	Objection (VERIFIER-JAIPUR) as on 05/10/2016		
8	PALANHAR/2016-17/1000016	12/08/2016 18:22:11 PM	LALI DEVI	1	Pending at Verifier (VERIFIER-JAIPUR) as on 16/09/2016		
9	PALANHAR/2016-17/1000015	12/08/2016 16:34:46 PM	JAMMNA DEVI	1	Pending at Verifier (VERIFIER-BIKANER) as on 29/09/2016		
10	PALANHAR/2016-17/1000014	12/08/2016 16:23:31 PM	SHEELA KANWAR	1	Pending at Verifier (VERIFIER-ALWAR) as on 10/08/2016		

Showing 1 to 10 of 22 rows


Previous 1 2 3 Next

ssotest.rajasthan.gov.in/palanhaar/PalanhaarView.aspx?ID=10036


Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

Step - 15:


View Button पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। आवेदन को सबमिट करने के लिये Final Submit Button पर क्लिक करें।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

[Back To SSO](#) [Signout](#)

AADHAAR ID/ EID/ आधार संख्या/ आधार पंजीकरण संख्या 646731550653	NAME/ नाम UTTAM KUMAR SAHU
DATE OF BIRTH/ जन्म दिनांक 04/12/1988	GENDER/ लिंग MALE
CATEGORY/ श्रेणी CHILDREN OF DIVORCED/ ABANDONED WOMEN/ तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला के बच्चे	PHOTO/ फोटो 
CERTIFICATE OF AANGANWADI ATTEND/ SCHOOL GOING/ आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने/ विद्यालय में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र	Download
PPO NO.	TEST000000000000 i
STUDY CLASS AT TIME OF APPLICATION/ आवेदन के समय शैक्षणिक स्तर SCHOOL (GOVT.)/ सरकारी विद्यालय	
SCHOOL (GOVT.)/ सरकारी विद्यालय NAME/ विद्यालय का नाम TEST	SCHOOL (GOVT.)/ सरकारी विद्यालय ADDRESS/ विद्यालय का पता TEST
NAME OF PRINCIPAL/ प्रधानाध्यापक का नाम TEST	MOBILE NUMBER OF PRINCIPAL/ प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर 0000000000
LANDLINE NUMBER OF SCHOOL (GOVT.)/ सरकारी विद्यालय/ विद्यालय का लैंडलाइन नंबर 000000000000	CERTIFICATE/ प्रमाण-पत्र Download

Click on Final Submit




[FINAL SUBMIT](#) [CLOSE](#)

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.

Step - 16:

Final Submit Button पर क्लिक करने के बाद पालनहार का रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्रदर्शित होगा तथा आवेदन संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित हो जायेगा। जैसा कि निम्न स्क्रीन में दिया हुआ है।

**SOCIAL JUSTICE** Management System

Back To SSO | Signout

Kiosk Dashboard

Palanhaar Registration Applications

Add New Palanhaar

Show rows 10

Search: JAM

S.No.	Application ID	Application Submission Date/ Time	Palanhaar Name	Children	Status	Add Child	View
9	PALANHAR/2016-17/1000015	12/08/2016 16:34:46 PM	JAMUNA DEVI	1	Pending at Verifier (VERIFIER-BIKANER) as on 29/09/2016		

Showing 1 to 1 of 1 rows (filtered from 22 total entries)

Previous 1 Next